



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

कार्यवृत्त

नवस्थापित महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की वित्त समिति की 12वीं बैठक दिनांक 09.09.2025 को मा० कुलपति जी की अध्यक्षता में मध्याह्न 12.30 बजे प्रारम्भ की गयी। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद
01	प्रो० संजीव कुमार, मा० कुलपति	अध्यक्ष
02	श्री, ज्ञान प्रकाश वर्मा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी, सदस्य प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा	उपस्थित
03	श्री अंजनी कुमार मिश्र, कुलसचिव	सदस्य
04.	प्रो० मृदुल कुमार गुप्ता, गणित विभाग, चौ० चरण सिंह वि०वि०, मेरठ (आनलाइन उपस्थिति) कार्यपरिषद् द्वारा नामित सदस्य	आनलाइन प्रतिभाग किया गया।
05	श्री जग नारायण झा, वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव एवं प्रतिनिधि वित्त सचिव

मा० कुलपति जी की अनुमति से वित्त अधिकारी ने समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की।

बिन्दु सं० 1- वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 22/05/2025 में लिए गए निणर्यों का सम्पुष्टीकरण।

निर्णय- वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 22/05/2025 में लिए गए निणर्यों को सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया।

बिन्दु सं० 2- विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सत्र 2025-26 हेतु बी०ए०, एल०एल०बी० व एल०एल०एम० (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम) में प्रवेशित छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क संरचना पर विचार।

निर्णय- विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सत्र 2025-26 हेतु बी०ए० एल०एल०बी०, एल०एल०एम० (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम) में प्रवेशित छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क, संरचना सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं० 3- विश्वविद्यालय में नियुक्त केन्द्रीय अधिकारियों के सेवानिवृत्त के उपरान्त अवकाश नगदीकरण एवं चिकित्सा भत्ता दिये जाने पर विचार।

निर्णय- विश्वविद्यालय में नियुक्त केन्द्रीय अधिकारियों के सेवानिवृत्त के उपरान्त अवकाश नगदीकरण दिये जाने के सम्बंध में द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शासन/विभिन्न विश्वविद्यालयों से वार्ता कर सम्बंधित पत्राजात मंगाकर कर मा० कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त किया जाए। साथ ही चिकित्सा भत्ता के सम्बंध में सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से समिति यह निर्णय लिया गया की प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।





महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

बिन्दु सं० 4- विश्वविद्यालय परिसर में सेमेस्टरवार परीक्षा कार्य हेतु कंट्रोल रूम में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के पारिश्रमिक मानदेय भुगतान पर विचार।

निर्णय- आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं० 5- विश्वविद्यालय में विभिन्न स्रोत से प्राप्त आय की धनराशि को कार्पस फण्ड में रखने पर विचार।

निर्णय- विश्वविद्यालय में विभिन्न स्रोत से प्राप्त आय की धनराशि को कार्पस फण्ड में ₹0 25 करोड़ धनराशि से प्रारम्भ किया जाए। जिससे भविष्य में विश्वविद्यालय हित में उक्त धनराशि आवश्यकता अनुसार शोध, पेंशन, वेतन आदि कार्यों हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रकरण सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं० 6- विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग किये जाने वाले टैक्सी/वाहन का किराया, कार्यालय परिवहन आयुक्त उ०प्र० के शासनादेश/GEM द्वारा निर्धारण पर विचार।

निर्णय- विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग किये जाने वाले टैक्सी/वाहन का किराया, GEM द्वारा निर्धारण किया जायेगा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं० 7- विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सम्बंध में गठित समिति की आख्या पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय- विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सम्बंध में गठित समिति की आख्या पर प्रकरण समिति ने अवलोकन किया जिसमें सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया प्रकरण विस्तृत विवरण एवं तथ्यों के साथ आगामी वित्त समिति में प्रकरण प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु सं० 8- विश्वविद्यालय परिसर में पी-एच०डी० प्रवेश परीक्षा कार्य में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के पारिश्रमिक मानदेय निर्धारण/भुगतान पर विचार हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय- विश्वविद्यालय परिसर में पी-एच०डी० प्रवेश परीक्षा से पूर्व सीट निर्धारण, पेपर तैयार कराना, छात्रों का नामांकन, एवं परीक्षा के बाद काउंसलिंग, कोर्स वर्क तैयार करना, आदि कार्य में कार्यरत समनवयक को ₹0 20000.00, उप समनवयक ₹0 15000.00 तृतीय श्रेणी कर्मचारी 7000.00 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ₹0 4000.00 पारिश्रमिक मानदेय दिया जायेगा एवं तृतीय श्रेणी 02 कर्मचारी प्रवेश परीक्षा कार्य में कार्य करेंगे सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। साथ

बिन्दु सं० 9- विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह हेतु धनराशि ₹0 75 लाख (पचहत्तर लाख) बजट में प्राविधानित किया गया है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय- विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह हेतु धनराशि ₹0 75 लाख (पचहत्तर लाख) बजट में प्राविधानित किया गया है। प्रकरण सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

L





महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

बिन्दु सं0 10— विश्वविद्यालय परिसर में दीक्षान्त स्थल, सरोवर व सरोवर तक जाने का रास्ता, शैड (T-V) वॉलीबाल/बैडमिंटन कोर्ट व अन्य सामान्य कार्य हेतु धनराशि रू0 75.00 लाख (पचहत्तर लाख) बजट आवंटन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— विश्वविद्यालय परिसर में दीक्षान्त स्थल, सरोवर व सरोवर तक जाने का रास्ता, शैड (T-V) वॉलीबाल /बैडमिंटन कोर्ट व अन्य सामान्य कार्य हेतु धनराशि रू0 75.00 लाख (पचहत्तर लाख) बजट आवंटन हेतु प्रकरण सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 11— विश्वविद्यालय में LCS (व्याख्यान कैपचर सिस्टम) हेतु धनराशि रू0 10 लाख (दस लाख) व कन्ट्रोल कमाण्ड सेंटर हेतु धनराशि रू0 40 (चालीस लाख) बजट आवंटन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— विश्वविद्यालय में LCS (व्याख्यान कैपचर सिस्टम) व कन्ट्रोल कमाण्ड सेंटर बनाने हेतु कुल धनराशि रू0 50 (पचास लाख) बजट आवंटन सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 12— उ0प्र0 शासन की विधानसभा साक्ष्य समिति के अनुपालन में विश्वविद्यालय की परीक्षा शुल्क संरचना पर पुनः विचार हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— उ0प्र0 शासन की विधानसभा साक्ष्य समिति के अनुपालन में विश्वविद्यालय की परीक्षा एजेंसी को निर्देश दिया जाये कि छात्र/छात्राओं को दिये जाने वाले परीक्षा शुल्क रशीद में पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायें।

बिन्दु सं0 13— विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सेवानिवृत्त सैनिक सुरक्षा कर्मों के मानदेय के निर्धारण हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सेवानिवृत्त सैनिक को रखने के लिए वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.05.2025 को 25 सैनिक सुरक्षा कर्मों को रखने की समिति ने स्वीकृति प्रदान किया था। सुरक्षा के दृष्टिगत 6 और सेवानिवृत्त सैनिक रखा जायें इस प्रकार कुल 31 सुरक्षा कर्मों के मानदेय उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर सुरक्षा गार्ड को रू0 30363.00, गनमैन रू0-37073.97, सुपरवाइजर रू0-39481.00 प्रतिमाह मानदेय सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 14— अन्य बिन्दु मा0 कुलपति जी के आदेश से।

(क) — शिक्षक संघ द्वारा दिये गये पत्र में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शोधार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पी-एच0डी0 कोर्स शुल्क में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

निर्णय— विश्वविद्यालय परिसर में पी-एच0डी0 कोर्स में लागू शुल्क संरचना पर विचार किया गया जिसमें पूर्व में लागू शुल्क संरचना यथावत के साथ सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

(जग नारायण झा)
वित्त अधिकारी/सचिव

(प्रो0 संजीव कुमार)
कुलपति/अध्यक्ष



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

बिन्दु सं० 10- विश्वविद्यालय परिसर में दीक्षान्त स्थल, सरोवर व सरोवर तक जाने का रास्ता, शैड (T-V) वॉलीबाल/बैडमिंटन कोर्ट व अन्य सामान्य कार्य हेतु धनराशि रु० 75.00 लाख (पचहत्तर लाख) बजट आवंटन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय- विश्वविद्यालय परिसर में दीक्षान्त स्थल, सरोवर व सरोवर तक जाने का रास्ता, शैड (T-V) वॉलीबाल /बैडमिंटन कोर्ट व अन्य सामान्य कार्य हेतु धनराशि रु० 75.00 लाख (पचहत्तर लाख) बजट आवंटन हेतु प्रकरण सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं० 11- विश्वविद्यालय में LCS (व्याख्यान कंप्यूटर सिस्टम) हेतु धनराशि रु० 10 लाख (दस लाख) ^अ बजट आवंटन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय- विश्वविद्यालय में LCS (व्याख्यान कंप्यूटर सिस्टम) एवं कंट्रोल कमाण्ड सेंटर बनाने हेतु ^अ धनराशि रु० 50 लाख (पचास लाख) बजट आवंटन सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं० 12- उ०प्र० शासन की विधानसभा साक्ष्य समिति के अनुपालन में विश्वविद्यालय की परीक्षा शुल्क संरचना पर पुनः विचार हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय- उ०प्र० शासन की विधानसभा साक्ष्य समिति के अनुपालन में विश्वविद्यालय की परीक्षा एजेंसी को निर्देश दिया जाये कि छात्र/छात्राओं को दिये जाने वाले परीक्षा शुल्क रशीद में पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायें।

बिन्दु सं० 13- विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सेवानिवृत्त सैनिक सुरक्षा कर्मों के मानदेय के निर्धारण हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय- विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सेवानिवृत्त सैनिक को रखने के लिए वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.05.2025 को 25 सैनिक सुरक्षा कर्मों को रखने की समिति ने स्वीकृति प्रदान किया था। सुरक्षा के दृष्टिगत 6 और सेवानिवृत्त सैनिक रखा जायें इस प्रकार कुल 31 सुरक्षा कर्मों के मानदेय उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर सुरक्षा गार्ड को रु० 30363.00, गनमैन रु०-37073.97, सुपरवाइजर रु०-39481.00 प्रतिमाह मानदेय सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं० 14- अन्य बिन्दु मा० कुलपति जी के आदेश से।

(क) - शिक्षक संध द्वारा दिये गये पत्र में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शोधार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पी-एच०डी० कोर्स शुल्क में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

निर्णय- विश्वविद्यालय परिसर में पी-एच०डी० कोर्स में लागू शुल्क संरचना पर विचार किया गया जिसमें पूर्व में लागू शुल्क संरचना यथावत के साथ सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

(जग नारायण झा)
वित्त अधिकारी/सचिव

(प्रो० संजीव कुमार)
कुलपति/अध्यक्ष

अ-ट्रेलम एवं अनाडि निरुद्ध हेतु रु० 40 लाख असाह र - - -

